



जनवरी के महीने में दुनिया के कई भागों में बर्फ गिरती है लेकिन हाल ही में सहारा रेगिस्तान में गिरी बर्फ ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है। उत्तर पश्चिम अल्जीरिया का एन सैफ्रा शहर तो सोमवार को हिमपात के कारण बर्फ से ढक गया और तापमान माइनस दो डिग्री हो गया। बियालिस सालों में यह पांचवां अवसर है जब इस शहर में बर्फ गिरी है। एन सैफ्रा, जिसे "गोटवे टु द डैजर्ट" भी कहते हैं, समुद्र के स्तर से 1000 मीटर ऊपर है तथा एटलस की पहाड़ियों से घिरा है। उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान के दायरे में आता है। गत 500 वर्षों में इस क्षेत्र के तापमान और नमी के स्तर में कई बार बदलाव हुआ है और संभवतया एक बार फिर यह क्षेत्र ऐसे ही किसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा प्रतीत होता है। इस माह के आरंभ में सऊदी अरेबिया के उत्तर पश्चिमी शहर तबुक में भी बारिश और हिमपात हुआ था तथा जबाल अल लाज पहाड़ी का शिखर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था।

करोना वायरस, चेचक की भांति गायब नहीं होगा

वाइट हाऊस के स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. एंथनी फाउची ने कहा, अब तक मानव जाति केवल एक संक्रामक वायरस, चेचक को ही सदा के लिये हरा पायी है, पर कोरोना वायरस के साथ ऐसा होता नहीं दिखता

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 जनवरी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एच.ओ.) महानिदेशक टैड्रॉस एदानोम गैब्रेसस का कहना है: लगता है कि कुछ देशों में कोविड-19 के केस पीक पर पहुंच गए हैं, जिससे यह उम्मीद बंधी है कि संक्रमण की इस नवीनतम लहर का सबसे बुरा समय गुजर चुका है, लेकिन कोई भी देश अभी इसकी अनिश्चितताओं से बाहर नहीं निकला है।

वाइट हाऊस के शीर्ष मैडिकल सलाहकार डॉ. एंथनी फाउची कहते हैं कि "कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी का खतमा इस वायरस के उन्मूलन से नहीं होगा। इसके बजाए इस वायरस का अपेक्षाकृत एक कम विध्वंसकारी एवं खतरनाक स्ट्रेन किसी

■ डब्ल्यू.एच.ओ. के प्रमुख गैब्रेसस ने भी डॉ. फाउची के विचारों का समर्थन किया कि, कोरोना वायरस का खतरा अभी बरकरार है, शायद कभी खत्म नहीं होगा।

■ डॉ. फाउची का यह भी कहना है कि, दुनिया के वैज्ञानिक अभी कुछ नहीं कह सकते कि, कोरोना वायरस का भविष्य क्या होगा और हमें कोरोना वायरस के बारे में अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिये।

■ वैक्सिनेशन, ओमक्रॉन के इलाज के रूप में उतना सफल न हो जितना कि कोरोना वायरस के मामले में हुआ था, पर वैक्सिनेशन गंभीर बीमारी और अन्ततोगत्वा मृत्यु को रोकने में जरूर कामयाब होता है।

क्षेत्र विशेष को अपनी गिरफ्त में लेगा।" टैड्रॉस कहते हैं कि "ओमक्रॉन औसतन एक कम खतरनाक वायरस है, लेकिन इसके संक्रमण से होने वाली बीमारी को साधारण मानने की धारणा

संक्रामक रोगों के इतिहास पर गौर करें तो हमने अब तक मनुष्य के एक ही संक्रामक रोग का खतमा किया है और वह है स्मॉल पॉक्स। ऐसा इस वायरस के साथ नहीं होने वाला है।"

यह उन हस्तियों के विचार हैं जो वैज्ञानिक ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर बात करते हैं।

अतः ऐसे अनिर्णय लगे, जो यह मानते हैं कि ओमक्रॉन हमें लापरवाही बरतने की अनुमति देता है, वे सावधान हो जाएं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेण्डा में बोलते हुए डॉ. फाउची ने इस पर जोर दिया कि वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि वास्तव में यह वैश्विक महामारी कब समाप्त होगी और इसकी गंभीरता के प्रति सावचेत होना महत्वपूर्ण है।" तथापि किसी क्षेत्र विशेष (शेष पृष्ठ 7 पर)

■ पार्टी द्वारा यू.पी. चुनाव के प्रथम चरण में स्टार प्रचारकों की सूची में टैनी, मेनका व वरुण गांधी का नाम नहीं।

कथित रूप से कुछ किसानों को अपनी कार से कुचल दिया था तथा वे इस समय वह जेल में हैं तथा वरुण गांधी किसानों के समर्थन में मुखर रहे थे।

स्टार प्रचारकों की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा मुख्यमंत्री योगी के अलावा केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, राधा मोहन सिंह, (शेष पृष्ठ 7 पर)

राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला: भेदभाव नहीं किया जा सकता

बेटी भी अनुकंपा नौकरी की हकदार है

जोधपुर, 19 जनवरी (कास)। पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी को नौकरी देने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया

व बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दरअसल, जैसलमेर निवासी शोभादेवी ने एक याचिका दायर कर कहा था कि उसके पिता गणपत सिंह

■ हाई कोर्ट जज पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने कहा, अब यह सोच बदलने का समय आ गया है कि, शादीशुदा बेटी अपने पिता के बजाय पति के घर की जिम्मेदारी है। शादीशुदा बेटे व बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

■ जज भाटी ने कहा कि, बूढ़े माता-पिता की जिम्मेदारी बेटे व बेटी की एक समान ही होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसे में पिता के स्थान पर मृतक का आश्रित मान नौकरी देने में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

है। हाईकोर्ट जज पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने अपने फैसले में कहा कि अब यह सोच बदलने का समय आ गया है कि शादीशुदा बेटी अपने पिता के बजाय पति के घर की जिम्मेदारी है। शादीशुदा बेटे

जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। 5 नवम्बर 2016 को गणपत सिंह का निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी शान्तिदेवी व पुत्री शोभा (शेष पृष्ठ 7 पर)

ममता का यू.पी. अभियान फ्लॉप?

-अंजन रांघ-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 जनवरी। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ममता बनर्जी की सक्रियता भारी पड़ेगी तथा क्या इससे उत्तर प्रदेश में किसी उम्मीदवार की संभावनाएं बाधित हो सकेंगी। ममता बनर्जी के घुस-विरोधी शुभेन्दु अधिकारी तो कम से कम यही सोचते हैं। अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक मजबूत मुद्दा उछाला है तथा कहा है कि आम धारणा यह है कि वे "सनातनियों" के खिलाफ हैं तथा केवल कट्टर साम्प्रदायिकता में विश्वास रखती हैं। यह चीज अखिलेश यादव की सोच के खिलाफ पड़ती है, जो उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को अपने साथ

■ फ्लॉप होने का कारण, अखिलेश व ममता की रीति-नीतियों में सामंजस्य नहीं बैठना।

लेकर चलने की छवि को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रथम दृष्टया, उनके अनुभव को भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। जहाँ ममता बनर्जी ने अपना रुतबा बढ़ाने के लिये अन्य पार्टियों से अलग हुये गुटों को फुसलाने तथा उन्हें प्रलोभन देने का रास्ता चुना था, जबकि अखिलेश यादव इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं।

बाहर आ रही जानकारियों के अनुसार, दूसरी पार्टियों से सपा में शामिल होने वालों को पार्टी-टिकट देकर भी उपकृत नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनावार्थी राज्यों में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिये, कांग्रेस (शेष पृष्ठ 7 पर)

अब अखिलेश ने भी सौगातों की बारिश की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिये स्वीकृत की गई 6000 रु. प्रतिवर्ष की पेंशन को तीन गुना अर्थात् 18000 रु. वार्षिक कर दिया जायेगा।

■ उन्होंने ट्वीट करके पेंशन तिगुनी करने तथा 300 युनिट बिजली "फ्री" देने का वादा किया।

इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी सरकार बनने पर इन महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रु. प्रति माह जाना शुरू हो जायेगा।

एक दिन पूर्व, यानी मंगलवार को उन्होंने प्रत्येक परिवार को 300 युनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। यादव ने ट्वीट करके सभी परिवारों से कहा था कि वे अपने नाम दर्ज करा दें।

उन्होंने सरकार बनाने के लिये सपा को खुला समर्थन देने का भी आह्वान किया था।

यू.पी. चुनाव प्रचार में पहुंचे सचिन पायलट

"किसानों को कुचलने वाले किस मुंह से समर्थन मांगेंगे," पायलट ने बनारस में आयोजित प्रैस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर कटाक्ष किया

■ पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, कि यू.पी. पुलिस और यू.पी. सरकार कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करती है। यहां के सी.एम. हिन्दू-मुस्लिम की बात करते हैं और 80 बनाम 20 की बात कहकर लोगों को बांटने वाले बयान देते हैं।

■ यू.पी. चुनाव में कांग्रेस की सीटों के सवाल पर पायलट ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे।

वाराणसी, 19 जनवरी। यू.पी. चुनाव प्रचार में पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दों पर केंद्र और यू.पी. सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी राज में किसानों की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन अन्नदाता का दर्द सौ गुना हो गया। अन्नदाता के साथ जिस तरह अत्याचार किया गया और उनके मान सम्मान को जिस तरह से ठेस पहुंचाई गई, उसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आशंका इस बात की है कि चुनाव जैसे ही खत्म होंगे,

उल्टा किया। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। किसानों को दबाने और उन्हें कुचलने का काम करेंगे तो किस मुंह से उनसे समर्थन की मांग करेंगे।"

उन्होंने कहा कि योगी सरकार को पांच साल और केंद्र सरकार को सात साल हो गए।

इन्होंने जिस भी तबके को विश्वास में लेकर उसके वोट लिए, वह हर तबका आज टगा सा महसूस कर रहा है।

डूबा है। खाद-बीज की लागत बढ़ गई है। वो लोग जो यह कहते थे कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने उसका

व्यवहार में लीक करके वोट लिए, वह हर तबका आज टगा सा महसूस कर रहा है।

किसी वर्ग को राहत नहीं दी। बीजेपी सरकार ने चंद नजदीकी लोगों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों को राहत नहीं दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यू.पी. पुलिस और यू.पी. सरकार कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करते हैं।

यहां के सीएम हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं और 80 बनाम 20 की बात कहकर लोगों को बांटने वाले बयान देते हैं। यू.पी. चुनाव में कांग्रेस की सीटों के सवाल पर पायलट ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे।

'विधायकों का छः माह से ज्यादा निष्कासन उचित नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उन एक दर्जन विधायकों के एक वर्ष के निलम्बन के प्रकरण में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, जिन पर कथित रूप से प्रीसाइडिंग ऑफिसर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं। अदालत ने पार्टियों से कहा है कि वे एक सप्ताह के अन्दर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

अधिकांश विधायकों की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ

■ सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में 12 भाजपा विधायकों को साल भर के लिये निष्कासित करने पर निर्णय सुरक्षित किया, पर टिप्पणी से मानस स्पष्ट किया।

वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक वर्ष का निलम्बन घोर अतांकित है, जबकि एक विधायक की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ वकील महेश जेटमलानी ने दलील दी कि निलम्बन तो निष्कासन से भी ज्यादा बुरा है क्योंकि इससे तो निर्वाचकों के अधिकार प्रभावित होते हैं।

मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति ए.एम. (शेष पृष्ठ 7 पर)